



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग, कक्ष सं०-४१०, चतुर्थ तल, शक्ति भवन मुख्यालय)

चौपहिया वाहन (कार इत्यादि) प्रवेश/पार्किंग हेतु निर्धारित प्रारूप-आवेदन पत्र

01. वाहन के मालिक (कारपोरेशन कार्मिक)
का पूरा नाम एवं पदनाम :-
02. नियुक्ति/तैनाती स्थान/कार्यालय का
पूर्ण पता :-
03. दूरभाष नम्बर :— (मोबाइल नम्बर) :- (कार्यालय/रैक्स नं०)
04. आवेदक का अवासीय पूर्ण पता :-
05. निगमीय वाहन का पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन नं० :-
06. निजी वाहन का पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन नं० :-
(यदि वाहन परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पंजीकृत है, तो, इस आशय का एक शपथ-पत्र रु० 100/- के स्टैम्प पेपर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर संलग्न प्रस्तुत करना होगा)
07. वाहन मालिक को निर्गत स्थायी/अस्थायी "परिचय-प्रवेश पत्र" की संख्या :-
08. पूर्व में यदि वाहन प्रवेश पत्र निर्गत हुआ हो तो उसकी संख्या :-

मैं, घोषणा/प्रमाणित करता हूँ कि शक्ति भवन परिसर में प्रवेश हेतु वैध प्रवेश-पत्र धारक द्वारा ही उल्लिखित वाहन का उपयोग किया जायेगा।

दिनांक स्थान

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
(मोहर सहित)

सत्यापित एवं अग्रसारित करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम व पद तथा मोहर)

- संलग्नक :- 01. वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र (R.C) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
02. स्वयं के प्रवेश-पत्र स्थायी/अस्थायी की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

- नोट :- 01. केवल हिन्दी में भरे फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे।
02. उपरोक्त प्रारूप में भरे हुये तथ्यों की पूर्ण जिम्मेदारी अग्रसारित अधिकारी की होगी।
03. चौपहिया वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थल/समुचित स्थान पर ही पार्क करें अन्यथा वाहन प्रवेश-पत्र निरस्त करते हुये वाहन प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा।
04. वाहन प्रवेश-पत्र प्राप्त करने का समय अपराह्न 4:00 बजे से 5:00 बजे तक है। (कक्ष सं०-४१०, चतुर्थ तल)